शाहजहांपुर पुलिस

प्रेस नोटः सराहनीय कार्य 28.09.2024

थाना जैतीपुर पुलिस को मिली बडी कामयाबी

“थाना जैतिपुर पुलिस द्वारा तीन शातिर चोरो को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया गया”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद मे अपराध की रोकथाम व अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के पर्यवेक्षण एंव श्रीमान क्षेत्राधिकारी तिलहर महोदय के निर्देशन में क्रियाशील एव चिन्हित किये गये अपराधियो की गिरफ्तारी एव अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना जैतीपुर पुलिस टीम को बडी सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 31.08.2024 को वादी श्री हरिशंकर पुत्र बुद्धा निवासी ग्राम सुरजूपुर थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर के घर से चोरी किये गये माल के सम्बन्ध में अज्ञात चोर के विरुद्ध मु0अ0स0 247/2024 धारा 331(4),305(a) भारतीय न्याय संहिता का अभियोग वादी श्री हरिशंकर उपरोक्त की तहरीरी सूचना पर पंजीकृत किया गया था जिसका सफल अनावरण करते हुए दिनांक 28.09.2024 को थाना जैतीपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1.वीरपाल पुत्र मैकूलाल 2.गजेन्द्र पुत्र मोरपाल 3.महेन्द्र पुत्र बांकेलाल निवासीगण ग्राम नगरिया कला थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली को बनखण्डी नाथ सडक पुलिया फतेहगंज पूर्वी रोड से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से एक जोडी चाँदी की पायल ,एक चाँदी का कमर बिछुआ तथा एक सोने का छोटा ओम तथा बारह हजार रूपये नगद माल बरामद किया गया। तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना जैतीपुर से अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :-

1. वीरपाल पुत्र मैकूलाल निवासी ग्राम नगरिया कला थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली
2. गजेन्द्र पुत्र मोरपाल निवासी ग्राम नगरिया कला थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली
3. महेन्द्र पुत्र बांकेलाल निवासी ग्राम नगरिया कला थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1.मु0अ0सं0 247/24 धारा 331(4),305(a) भारतीय न्याय संहिता।

बरामदगी का विवरण:-

1.एक जोडी चाँदी की पायल ,
2.एक चाँदी का कमर बिछुआ
3.एक सोने का छोटा ओम
4.बारह हजार रूपये नगद

पूछताछ विवरण:-

अभियुक्तगणो में अभियुक्तगणों द्वारा पूछताछ पर संयुक्त रुप से बताया गया कि कि साहब मै ग्राम सुरजुपुर थाना जैतीपुर ने तेल पेलर मशीन मालिक हरिशंकर पुत्र बुद्धा के मकान का एक दो बार घूम फिरकर रैकी कर लिया था तथा दिनांक 31.08.24 की रात को मैं तथा मेरे गांव के ही मेरा साथी अभियुक्त वीरपाल पुत्र मैकूलाल व अभियुक्त महेन्द्र पुत्र रात को अपने गांव से बनखण्डी नाथ पुलिया रास्ते से ग्राम बिनौरा बिनौरिया की तरफ आये मकान मे अंदर जाने के लिये पडोसी मकान स्वामी दिनेश पुत्र धर्मपाल के मकान के पास खडे नीम के पेड पर मेरे साथी वीरपाल ने चढकर छत पर पहुंचा दिनेश उपरोक्त के मकान मे घुसकर वीरपाल ने उसका दरवाजा का अंदर का कुंडा खोल दिया कि हम तीनो ने उसके बक्शे मे रखा जेवर चोरी किया उसमे नगदी नही मिली थी कि वीरपाल ने छत के रास्ते हरिशंकर के मकान मे पहुंचकर उसका मुख्य दरवाजा अंदर से खोल दिया कि हम तीनो ने हरिशंकर के मकान मे घुसकर उसके अलमारी बक्शे के ताले तोडकर वहाँ से नगदी करीब एक लाख पाँच हजार

रूपये चोरी किया था। जेवर मे जो सामान मिला था कि अचानक हरिशंकर परिवार जग जाने के कारण हम भागे तो उनका जेवर वही गिर गया था साहब इसके अलावा हमने कोई चोरी नही की है हमारे हिस्से मे 35-35 हजार रूपये नगदी आयी थी कि अभी जो रूपये मुझसे 4700 रूपये बरामद हुये यह हरिशंकर के घर की चोरी के शेष बचे रूपये है। बाकी खर्च हो गये है तथा मेरी तलाशी मे चाँदी की जो पायल आपको बरामद हुयी है वह पडोसी के घर के चोरी की है। आज हम तीनो उक्त माल को वीरपाल की बाईक से बेचने के लिये दातागंज की ओर निकल रहे थे क्यूंकि हमसे चोरी का माल स्थानीय सुनार जान पहचान होने के कारण व पुलिस डर से नही खरीदते है। कि हमने सोचा कि अब सवेरे निकलेगे तो दातागंज मे किसी सुनार को बेचकर अपना घरेलू खर्चा चलायेगे। उक्त मोटरसाईकिल से हमने इस घटना को अंजाम दिया है। साहब गलती हो गयी है माफ कर दो।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.थानाध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
2.उ0नि0 संजीव कुमीर थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
3.उ0नि0 महीपाल सिंह थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
4.का0 1855 कुशलपाल थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
5.का0 1909 तरुण सिरोही थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
6.चा0का0 2572 रोहित रावत थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर